प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित : 31-07-2019

निर्णय घोषित : 01-08-2019

दाण्डिक अपील सं. 289/2004

[सत्र विचारण सं. 110/2003 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे इसके बाद 'अ.जा.ज.जा. अधिनियम' कहा जाएगा) के तहत गठित विशेष न्यायाधीश (के न्यायालय), बस्तर, जगदलपुर द्वारा पारित 17-02-2004 दिनांकित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश से उद्भूत।]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतुल बी. मिस्त्री, पिता- बी. टी. मिस्त्री, आयु- वर्ष 33 वर्ष, व्यवसाय- ठेकेदार, निवासी- नयापारा, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.)

..... अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना प्रभारी, थाना- कोडेनार, जिला- बस्तर (सी. जी)

..... उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से : वाई. सी. शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : श्री विनोद टेकम, अधिष्ठित अधिवक्ता

माननीय श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

1. इस दाण्डिक अपील में सत्र विचारण सं. 110/2003 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे इसके बाद

'अ.जा.ज.जा. अधिनियम' कहा जाएगा) के तहत गठित विशेष न्यायाधीश (के न्यायालय), बस्तर, जगदलपुर द्वारा पारित 17-02-2004 दिनांकित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर निम्नानुसार दण्डादेश दिया :-

धारा	सश्रम कारावास की अवधि	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर
354, भा.द.वि.	1 ½ वर्ष	1,000/-	4 माह का सश्रम कारावास
3(1)(**xi**), अ.जा.ज.जा. अधिनियम	2 वर्ष	1,500/-	6 माह का सश्रम कारावास

कारावास के दोनों दण्डादेश को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि कथित घटना के समय अभियोक्त्री ग्राम बुदेली की 18 वर्षीया निवासी थी। वह अनुसूचित जनजाति की सदस्या है। 05-07-2002 को वह सहेलियाँ कु. दशमत, कु. दयारो बाई और अन्य मजदूर नई पुलिया के निर्माण स्थल पर कार्य करने गए थे। लगभग 1:30 बजे राजमिस्त्री लालसू और बलराम ने उसे अपीलार्थी जो ठेकेदार था, के लिए चाय तैयार करने को कहा। वह कु. दशमत के साथ कैम्प क्वार्टर में गई। जब उसने अपीलार्थी को चाय परोसी, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके स्तन दबा दिए। उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसकी सहेली कु. दशमत ने हस्तक्षेप किया और उसे उससे अलग कर दिया। शर्म की वजह से उसने 06-07-2002 को अपने पिता, माता और चाचा को घटना के बारे में बताया। 07-07-2002 को लगभग 19:30 बजे उसने उसके विरूद्ध थाना कोरार में एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई। अन्वेषण पूरा होने के बाद, उसके विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354, 506-ख और अ.जा.ज.जा. अधिनियम की धारा 3(1)(**x**),(**xi**) के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने उसके

विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354,506-II और अ.जा.ज.जा. अधिनियम की धारा 3(1)(**xi**) के तहत आरोप विरचित किए। आरोपों को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 5 साक्षियों का परीक्षण किया। उन्होंने अपने बचाव में 2 साक्षियों का परीक्षण किया। विचारण पूर्ण होने के बाद, विचारण न्यायालय ने उसे सिद्धदोष किया और उपरोक्तानुसार दण्डादेश दिया। यद्यपि, विचारण न्यायालय ने उसे भा.द.वि. की धारा 506-II के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया।

3. व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क किया कि विचारण न्यायालय ने उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया है। इस प्रकार, अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दण्डादेश विधि की दृष्टि से गलत है। अतः अपीलार्थी उपरोक्त आरोपों दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. राज्य के अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थी की दोषसिद्ध और दण्डादेश निर्णायक साक्ष्य पर आधारित हैं। अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दण्डादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. अ.सा. 1 अभियोक्त्री शपथ पर दिए गए अपने कथन की कण्डिका 3 में कहती है कि जब उसने अपीलार्थी को चाय परोसी, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके स्तन दबा दिए।

7. अ.सा. 2 कु. दासमत शपथ पर दिए गए अपने कथन की कण्डिका 2 में कहती है कि जब वह अ.सा. 1 अभियोक्त्री की आवाज़ सुनकर अंदर घुसी, तो उसने देखा कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया था।

8. अ.सा. 3 कु. दयारो बाई शपथ पर दिए गए अपने कथन की कण्डिका 2 में कहती हैं कि अ.सा. 1 अभियोक्त्री ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थी ने उसका हाथ पकड़ लिया था।

9. ब.सा. 1 लालसुराम और ब.सा. 2 बलराम मांडवी शपथ पर दिए गए अपने कथनों की कंडिका 2 में कहते हैं कि अ.सा. 1 अभियोक्त्री ने अपीलार्थी और उन्हें चाय परोसी थी। साइट का कार्य बंद होने के बाद सभी लोग चले गए थे। किसी विवाद के कारण अपीलार्थी ने अन्य गाँवों के मजदूरों को नियुक्त किया था, इस प्रकार बुदेली गाँव के मजदूरों ने धमकी दी थी कि वे उसे गलत तरीके से फंसायेंगे।

10. अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि अ.सा. 1 अभियोक्त्री , अ.सा. 2 कु. दश्मत, अ.सा. 3 कु. दयारो बाई के उपरोक्त कथन सरल, स्वाभाविक, सामान्य नहीं हैं।

11. कथित प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.**P**-1 के अनुसार अपीलार्थी ने अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया था और उसके स्तन दबा दिए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके बल पर यह कहा जा सके कि प्र.**P**-1 मनगढ़ंत है और सोचने के बाद अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाने के लिए दर्ज कराया गया है।

13. उपरोक्त त्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण में इस न्यायालय ने पाया कि अ.सा. 1 अभियोक्त्री, अ.सा. 2 कु. दश्मत, अ.सा. 3 कु. दयारो बाई के कथन सरल, स्वाभाविक, सामान्य हैं। इस प्रकार, यह न्यायालय उन पर विश्वास करता है और इस संदर्भ में ब.सा. 1 लालसु राम, ब.सा. 2 बलराम मांडवी के उपरोक्त कथनों पर विश्वास नहीं करता है कि अपीलार्थी ने कोई अपराध नहीं किया था।

14. **भालचंद तिवारी @ भोला बनाम छत्तीसगढ़ राज्य {2016 (3) सी. जी. एल. जे. खंड 363}** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी को विशेष अधिनियम की धारा 3 (1) (**XII**) के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है क्योंकि यह साबित नहीं हुआ है कि अपीलार्थी अभियोक्त्री की इच्छा पर हावी था और अपने पद का उपयोग उसका यौन

शोषण करने के लिए सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित थी।

15. **14.06.2016 को निर्णित दाण्डिक अपील सं. 328/2003, भिखर व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** के प्रकरण में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय में यह टिप्पणी की गई कि जहाँ तक अधिनियम की धारा 3(2)(**V**) के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का संबंध है, वर्तमान प्रकरण में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थियों ने इस आधार पर अपराध कारित किया था कि मृतक अनुसूचित जाति श्रेणी से थी। ऐसी सामग्री के अभाव में केवल इसलिए कि मृतका अनुसूचित जाति श्रेणी की सदस्या थी, अपीलार्थियों के विरुद्ध स्वतः ही अधिनियम की धारा 3 (2) (**V**) के तहत अपराध नहीं बनता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. 14.12.2017 को निर्णित दाण्डिक अपील सं. 304/2007 **देवचंद पटेल व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** के मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि जहां तक अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(**V**) के तहत दोषसिद्धि का संबंध है, चूँकि यह पहले ही माना जा चुका है कि अपीलार्थियों ने मृतक के विरुद्ध कोई अपराध कारित नहीं किया है, इस धारा के तहत उनकी दोषसिद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता है। अन्यथा भी अभियोजन पक्ष का यह प्रकरण नहीं है कि चूंकि मृतक किसी विशेष जाति का था, इसलिए उसे पीटा गया था, बल्कि साक्ष्यों से यह स्थापित किया गया है कि वह मृतक ही था जिसे उसकी गलती के कारण ग्रामीणों द्वारा पीटा गया था, जो दुर्भाग्य से उसकी मौत का कारण बना। अतः अभियुक्तों को भी इस आरोप से दोषमुक्त किया दिया जाता है।

17. **दिनेश @ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य {2006 (3) एस. सी. सी. 771} के मामले में** माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने कण्डिका- 15 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"15. धारा 3 (2) (**v**) के आवेदन के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि

किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर अपराध किया गया होगा कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। वर्तमान प्रकरण में इस अनिवार्यता को स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अभियोजन पक्ष का यह प्रकरण नहीं है कि पीड़िता के साथ बलात्कार इसलिए किया गया था क्योंकि वह अनुसूचित जाति की थी। उस आशय के साक्ष्य के अभाव में, धारा 3 (2) (**v**) का कोई अनुप्रयोग नहीं है। यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 3 (2) (**v**) लागू होती तो विधि के संचालन से दण्ड आजीवन कारावास और अर्थदण्ड होता।"

18. **भालचंद तिवारी @ भोला**, **भिखर व अन्य** तथा **देवचंद पटेल व अन्य** के मामलों में इस न्यायालय तथा **दिनेश @ बुद्घा (पूर्वोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक पूर्ववर्तियों से यह पाया गया कि अ.जा.ज.जा. अधिनियम के उपबंधों को आकर्षित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि अभियोक्त्री या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्या थी। अ.जा.ज.जा. अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक तत्व यह है कि अभियुक्त ने केवल इस आधार पर अपराध कारित किया था कि वह या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्या थी। वर्तमान प्रकरण में, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अपीलार्थी ने कथित रूप से केवल इस आधार पर उक्त अपराध किया था कि अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति की सदस्या थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद इस न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष भा.द.वि. की धारा 354 के तहत दण्डनीय आरोप को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, परन्तु अपीलार्थी के विरुद्ध अ.जा.ज.जा. अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(**xi**) के तहत दण्डनीय आरोप को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः यह न्यायालय भा.द.वि. की धारा 354 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करता है

और अ.जा.ज.जा. अधिनियम की धारा 3(1) **xi**) के तहत दण्डनीय अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दण्डादेश को अपास्त करता है।

20. संदेह का लाभ प्रदान करते हुए अपीलार्थी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्यचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(**xi**) के तहत दण्डनीय आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है। उक्त अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दी गई अर्थदण्ड की राशि, यदि पहले से ही अपीलार्थी द्वारा जमा कर दी गई है, तो पक्षकारों को उपलब्ध आगे के विधिक उपाय की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उसे वापस कर दी जाएगी।

21. जहाँ तक भा.द.वि. की धारा 354 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दण्ड का संबंध है, अपीलार्थी 29.08.2002 से 03.09.2002 तक जेल में रहा है। घटना के दिनांक से लगभग 17 वर्ष बीत चुके हैं। घटना के समय उसकी वर्ष लगभग 33 वर्ष थी, अब उसकी वर्ष लगभग 50 वर्ष है। अब वह समाज की मुख्यधारा में है। उसे जेल भेजने से उसका और उसके परिवार के सदस्यों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा। घटना के समय, भा.द.वि. की धारा 354 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए कोई न्यूनतम कारावास का दण्ड उपबंधित नहीं किया गया था। इसलिए, यदि घटना के 17 वर्ष बाद उसे जेल भेजा जाता है तो कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए तथा **मंजप्पा बनाम कर्नाटक राज्य [(2007) 6 एस. सी. सी. 211]** के मामले में माननीय सर्वोच्च द्वारा की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का मत है कि यदि भा.द.वि. की धारा 354 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए डेढ़ साल के सश्रम कारावास को उसके द्वारा कारावास में बिताई जा चुकी अवधि तक कम कर दिया जाता है और अर्थदण्ड की राशि को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाता है तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

22. परिणामस्वरूप अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भा.द.वि. की धारा 354 के तहत अपीलार्थी के दण्ड को डेढ़ साल की अवधि को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि कर दिया जाता है और अर्थदण्ड की राशि को रु. 1000/- से बढ़ाकर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए मात्र) किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि का भुगतान न करने पर, चार माह के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास से गुजरना होगा।

23. अर्थदण्ड की राशि जमा करने के लिए अपीलार्थी को इस आदेश के दिनांक से दो महीने का समय प्रदान किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा पहले जमा की गई अर्थदण्ड की राशि को रु. 25,000/- की अर्थदण्ड की राशि में समायोजित किया जाए।

24. पक्षों को उपलब्ध विधिक उपचार की निर्धारित अवधि के बाद अर्थदण्ड की राशि रु. 25,000/-, यदि जमा किए जाते हैं तो, में से रु. 20,000/- (बीस हजार रुपए मात्र) तो अभियोक्त्री को प्रतिकर के रूप में दिए जाएं।

25. तदानुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

26. अपीलार्थी के जमानत पर होने की सूचना है। उनके जमानत बंधपत्र धारा 437-क, द.प्र.सं. के उपबंधों के अधीन रद्द कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

(शरद कुमार गुप्ता)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**